

प्रेषक:

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

सेवामें,

प्रबन्धक

डी०बी०आर० सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल

पहाड़पुर, बैतालपुर, देवरिया।

पत्रांक: मान्यता/2508-09/2019-20

दिनांक: 29/05/2019

विषय: अस्थासकीय मान्यता (कक्षा-01 से 08 तक) की अग्रेजी माध्यम स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके प्राप्त प्रार्थना पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेशानुसार मान्यता की नयी नियमावली के संदर्भ में निम्न प्राविधान है:- प्रथमतया निर्धारित प्रारूपपर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

उक्त के क्रम में आपके विद्यालय की जाँच खण्ड शिक्षा अधिकारी, बैतालपुर से करायी गयी जाँचोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने पर आपको कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रदत्त अस्थायी मान्यता पत्रांक: परिषद/कालि०/मान्यता/1972-73/2016-17 दिनांक 19/05/2016 के क्रम में आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय के रूप में अधिकृत किया जाता है।

भवदीय

29/05/19

(ओमप्रकाश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

पत्रांक: मान्यता/ /2019-20 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- खण्ड शिक्षा अधिकारी, बैतालपुर देवरिया को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

Principal

D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager

D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया।

आदेश सं०-परिषद्/क०लि०/मान्यता/1972-13/2016-17

दिनांक - 19 मई 2016

सेवा में,

प्रबन्धक,

डी०बी०आर० सीनियर सेकेण्डरी स्कूल

पहाड़पुर, जनपद-देवरिया

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं डी०बी०आर० सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, पहाड़पुर, जनपद-देवरिया को दिनांक 15.05.2016 से दिनांक 14.05.2019 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम की अनन्तिम मान्यता का प्रदान करने की संसूचना देता हूँ :-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/संबन्ध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। रेसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - i. प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - iii. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - v. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता, ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।
 - vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन दिनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

Principal

D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager

D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगे।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों का बनाए रखेंगे।
अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडारागार के लिए कक्षा
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 13 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धि शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय
(मनोज कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

पृ०सं०: परिषद्/क०लि०/मान्यता/

प्रतिलिपि- सहायक शिक्षा निदेशक(बे०), सप्तम मण्डल, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
/2016-17/तददिनांकित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

Principal

D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager

D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria